न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 54/2019 आदेश दिनांक 16.10.2019

शिवरतन पुत्र दानाराम जाति ब्राह्मण निवासी गुसांईसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

प्रार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़।

अप्रार्थी

उपस्थित–

1 श्री मोहननाथ सिद्ध अधिवक्ता प्रार्थी की तरफ से ।

2. पैरोकार राज अप्रार्थी की तरफ से ।

यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में श्री शिवरतन ने जरिये श्री मोहननाथ सिद्ध अधिवक्ता के मार्फत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम गुसांईसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का स्थायी निवासी है। प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1566/183 तादादी 9.4850 हैक्टैयर वाके रोही गुसांईसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। प्रार्थी का उक्त वर्तमान खेत खसरा नम्बर नया 1566/183 जो मूल खसरा नम्बर नया 183 तादादी 18.97 हैक्टेयर से टूटकर बना है जिसके पुराने खसरा नंबर 882/81 है। उक्त मूल खसरा नंबर पुराना 882/81 की सर्वप्रथम खातेदारी नामान्तरण संख्या 647 रोही ग्राम गुसांईसर द्वारा प्रार्थी के पिता दानाराम पुत्र रावताराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गुसांईसर के नाम से आंवटित हुई। प्रथम जमाबन्दी सम्वत् 2031 में खसरा नंबर 81 मि. तादादी 75 बीघा के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम दानाराम दर्ज हुआ। प्रार्थी के पिता का दानाराम नाम सही एवं शुद्ध रूप में है जो कि उनके पहचान एवं निवास संबंधित सभी दस्तावेजो में दानाराम के रूप में ही दर्ज है। प्रार्थी के पिता दानाराम के जीवनकाल के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के संधारण के दौरान सम्वत् 2035 की जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता के उक्त खसरा नंबर 81 मि. के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व कर्मचारियों की भूलवश दानाराम की जगह पर दानीराम दर्ज हो गया जो कि पूर्णतया राजस्व कर्मचारियों की भूलवश व बिना किसी आधार के हुआ है। प्रार्थी के पिता को उक्त भूल की जानकारी किसी कारण से नही हो सकी। प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात जरिये विरास्तन नामान्तरणकरण संख्या 1025 दिनांक 05.03.2019 द्वारा मूल खसरा नंबर 183 की भूमि प्रार्थी व उसके भाई–बहिन, माता के नाम दर्ज हुई। जरिये हक त्याग नामान्तरणकरण संख्या 1042 दिनांक 05.04.2019 द्वारा उक्त खसरा के मूल खसरा की भूमि प्रार्थी व उसके भाई के नाम दर्ज हुई। विभाजन नामान्तरणकरण संख्या 1044 दिनांक 15.05.2019 द्वारा मूल खसरा नंबर 183 की भूमि टूटकर वर्तमान खसरा नंबर 1566/183 तादादी 9.4850 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज हुई जिस पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग चला आ रहा है। राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी आधार के गैर कानूनी तरीके से प्रार्थी के पिता के जीवनकाल में ही सम्वत् 2035 में उनका नाम गलत रूप से दानीराम दर्ज कर दिया। राजस्व कर्मचारियो की उक्त भूल गैरकानूनी व संशोधन करने योग्य है। प्रार्थी ने वर्तमान जमाबन्दी हल्का पटवारी से ली तो प्रार्थी को अपने उक्त खसरान् के राजस्व रिकोर्ड में पिता के नाम में हुई उक्त त्रुटि की जानकारी

Scanned by CamScanner

हुई। प्रार्थी ने अपने उक्त खसरान् के राजस्व रिकोर्ड में राजस्व कर्मचारियों की भूलवंश अपने पिता का नाम गलत रूप से दानीराम दर्ज करने की त्रुटि का संशोधन करवाने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़ को निवेदन किया तो तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा प्रार्थी की बात को सही माना लेकिन अपने क्षैत्राधिकार से बाहर का होने के कारण संशोधन करने से दिनांक 01.08.2019 को इन्कार कर दिया। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के इन्कारी की दिनांक से प्रार्थी को प्रार्थना –पत्र का वाद हेतु एवं वादाधार हासिल है। प्रार्थी अपने उक्त खसरा के राजस्व रिकोर्ड में अपने नाम के पीछे अपने पिता का सही नाम दानाराम अंकन करवाने का कानूनन अधिकारी है। राजस्व कर्मचारियों की भूलवंश प्रार्थी के पिता के नाम में की गई त्रुटि से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हुई है एवं प्रार्थी अपने राजस्व रिकॉर्ड का दस्तावेजी लाभ लेने से वंचित हो रहा है। जिसकी भरपाई प्रार्थी के पिता के नाम में संशोधन कर पूर्व स्थिति कायम करने से ही हो सकती है।

अतः प्रार्थना –पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खेत खसरा नम्बर 1566/183 तादादी 9.4850 हैक्टैयर वाके रोही गुसांईसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी के नाम शिवरतन के आगे प्रार्थी के पिता का सही नाम दानाराम अंकित करने का आदेश अप्रार्थी स्टेट को दिया जावें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी की तरफ से पैरोकार राज ने उपस्थित होकर जबाव पेश किया कि वादगत खेत खसरा नम्बर 1566/183 तादादी 9.4850 हैक्टयर वाके रोही गुसाईसर तहसील श्री डुॅगरगढ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी शिवरतन के नाम के आगे उसके पिता का नाम दानीराम की जगह सही व शुद्ध नाम दानाराम संशोधन किया जाना न्यायोचित है ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने के कारा प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 1566/183 तादादी 9.4850 हैक्टैयर वाके रोही गुसांईसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी के नाम शिवरतन के आगे प्रार्थी के पिता का सही नाम दानाराम अंकित करने के आदेश तहसीलदार श्री डूॅगरगढ को दिये जाते है । तहसीलदार, श्री डूॅगरगढ राजस्व रिकार्ड में जहॉ जहॉ वादी के पिता का नाम दानीराम है उसके स्थान पर दानाराम अंकित करें ।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2019 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर न्यायालय मुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

16/11/2019

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Nyol
Date: 2019.11.15 12:48:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: